नगरपालिक कराधान अधिनियम, 1881

(1881 का अधिनियम संख्यांक 11)[1]

[25 फरवरी, 1881]

कतिपय मामलों में नगरपालिक करों के उद्ग्रहण को प्रतिषिद्ध करने के लिए शक्ति प्रदान करने हेतु अधिनियम

उद्देशिका—यत: कतिपय मामलों में सेना, [2][नौसेना,] [3][या वायुसेना] में सेवा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा या [4][राज्य सरकार] संदेय नगरपालिक करों के उद्ग्रहण को प्रतिषिद्ध करने के लिए [5][सरकार] को सशक्त करना समीचीन है;

अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नगरपालिक कराधान अधिनियम, 1881 है ।

स्थानीय विस्तार—इसका विस्तार [6][उन राज्यक्षेत्रों को] छोड़कर [6][जो पहली नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व भाग ख राज्य में समाविष्ट थे,] समस्त भारत पर है [7]*** ।

2. नगरपालिक समिति की परिभाषा—इस अधिनियम में "नगरपालिक समिति"[8] के अन्तर्गत नगर निगम या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के उपबन्धों द्वारा या उनके अधीन गठित नगरपालिक आयुक्तों का निकाय भी आता है ।

3. कर के उद्ग्रहण को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति—तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसे [9][विनिर्दिष्ट कर] के नगरपालिक समिति द्वारा उद्ग्रहण करने को प्रतिषिद्ध कर सकेगी [9][जो ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा संदेय है जो सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46), नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) या वायुसेना अधिनियम, 1950 (1950 का 45) के अध्यधीन है और जो सेना, नौसेना या वायुसेना के कर्तव्य की आवश्यकताओं के कारण किसी नगरपालिका की सीमाओं के अन्दर निवास करने के लिए आबद्ध है ।]

[10]* * * * *

केन्द्रीय सरकार वैसे ही आदेश द्वारा ऐसे किसी प्रतिषेध को विखण्डित कर सकेगी ।

[11][**3क. अपने से कर के उद्ग्रहण करने को प्रतिषिद्ध करने के बारे में राज्य सरकार की शक्ति**—तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा अपने द्वारा संदेय किसी विनिर्दिष्ट कर के नगरपालिक समिति द्वारा उद्ग्रहण करने को प्रतिषिद्ध कर सकेगी और वैसे ही आदेश द्वारा ऐसे किसी प्रतिषेध को विखण्डित कर सकेगी ।]

4. धारा 3 में निर्दिष्ट कर केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने—जब तक धारा 3 के अधीन उसमें [12]*** वर्णित किसी व्यक्ति से कर के उद्ग्रहण को प्रतिषिद्ध करने वाला आदेश प्रवृत्त रहता है, तब तक [13][केन्द्रीय सरकार] आदेश में वर्णित नगरपालिक समिति को उस राशि को देने के लिए उत्तरदायी रहेगी जो अन्यथा ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी समिति को संदेय होती :

परन्तु [14][केन्द्रीय सरकार] किसी ऐसे घोड़े के बारे में जिसे ऐसा व्यक्ति उस सेवा के विनियमनों द्वारा जिससे उसका संबंध है, रखने के लिए बाध्य है, कोई राशि देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी ।

---

[1] 1974 के मैसूर अधिनियम सं० 13 द्वारा इस अधिनियम का संशोधन मैसूर के लिए किया गया ।

[2] 1934 के अधिनियम सं० 35 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा अंत:स्थापित ।

[3] 1927 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अंत:स्थापित ।

[4] भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया इन काउन्सिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ख राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा "और तुरन्त प्रवृत्त होगा" शब्द निरसित किए गए ।

[8] छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) द्वारा यथापरिभाषित प्रत्येक छावनी बोर्ड इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक नगरपालिक समिति समझा जाएगा । देखिए उक्त अधिनियम की धारा 97 ।

[9] 1960 के अधिनियम सं० 58 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[10] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "या (ख) सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया इन काउंसिल द्वारा संदेय" शब्द निरसित किए गए ।

[11] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अंत:स्थापित ।

[12] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "के खण्ड (क)" शब्द निरसित किए गए ।

[13] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इडिया इन काउंसिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[14] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "उक्त सेक्रेटरी आफ स्टेट इन काउंसिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

5. धारा 3क में निर्दिष्ट करों के बदले में संदाय किया जाना—जब तक [1][धारा 3क] के अधीन दिया गया ऐसा आदेश प्रवृत्त रहता है जो [2][राज्य सरकार] द्वारा संदेय किसी कर के उद्ग्रहण को प्रतिषिद्ध करता है, तब तक उक्त [3][राज्य सरकार] ऐसे कर के बदले में नगरपालिक समिति को ऐसी राशियां (यदि कोई हों) देने के लिए उत्तरदायी होगी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर नियुक्त कोई अधिकारी समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर उचित और युक्तियुक्त रूप से अवधारित करे ।

6. इस अधिनियम के अधीन उत्पन्न होने वाले प्रश्नों का विनिश्चय—यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के अर्थ में कोई कर्तव्य सैनिक, [4][नौसैनिक] [4][या वायुसैनिक] कर्तव्य है, तो केन्द्रीय सरकार का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा ।

यदि ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रकार से किसी नगरपालिका की सीमाओं के अन्दर निवास करने के लिए बाध्य है या पूर्वोक्त प्रकार से कोई घोड़ा रखने के लिए आबद्ध है, तो उस पर ऐसे प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार समय-समय पर इस निमित्त नियुक्त करे ।

———

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "धारा 3" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया इन काउंसिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सेक्रेटरी आफ स्टेट इन काउंसिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1927 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अंत:स्थापित ।